**चौथी स्थिति**

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *204**

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

**धोखाधड़ीपूर्ण ऋण ऐप**

*204. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स से संबंधित बढ़ते जोखिमों, विशेषकर अत्यधिक ब्याज दरों और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी संस्थाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों की सीमित प्रयोज्यता के बारे में व्यक्त चिंताओं को दूर करने हेतु कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ·) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए कोई कार्यनीति बनाई है जिसमें क्रेताओं को धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स से जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करने और उधार लेने की जिम्मेदाराना आदतों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

**(क) से (च):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**"धोखाधड़ीपूर्ण ऋण ऐप" के संबंध में श्री नव कुमार सरनीया द्वारा पूछे गए 18 दिसम्बर, 2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *204 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (घ):** भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्स के माध्यम से उधार सहित डिजिटल उधार के संबंध में एक कार्य समूह का गठन किया था। इसकी अनुशंसाओं के आधार पर आरबीआई ने दिनांक 2.9.2022 के परिपत्र के माध्यम से डिजिटल उधार के संबंध में विनियामकीय दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहक की सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए और डिजिटल उधार तंत्र को सुरक्षित तथा सुदृढ़ बनाकर डिजिटल उधार की विनियामकीय संरचना तैयार करना है।

इन दिशानिर्देशों में विनियमित संस्थाओं (आरई), अर्थात् बैंक/एनबीएफसी, को यह अधिदेश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा जिन उधार सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) और डिजिटल उधार एप्स (डीएलए) (आरई या आरई द्वारा उपयोग किए जा रहे एलएसपी) की सेवाएं ली जा रही हैं, वे इस परिपत्र में शामिल दिशानिर्देशों का अनुपालन करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है:-

(i) विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उधारकर्ताओं के लिए डिजिटल ऋणों की सर्व-समावेशी लागत के रूप में वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) को आरंभ में ही प्रकट किया जाए,

(ii) उधार सेवा प्रदाता, उधारकर्ता से कोई शुल्क, प्रभार आदि प्रभारित नहीं कर सकते और उन्हें इसका भुगतान सीधे उस आरई, जिसके साथ वे सम्बद्ध हैं, के द्वारा किया जाना चाहिए,

(iii) ऋणों का संवितरण और पुनर्भुगतान सीधे उधारकर्ता और आरई के बैंक खातों के बीच किया जाना चाहिए,

(iv) उधारकर्ता को संविदा के निष्पादन से पहले एपीआर के ब्यौरे सहित मानक प्रारूप में मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) उपलब्ध कराया जाए।

इन दिशानिर्देशों में आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) और उनके एजेंटों, जो आरई के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत परिचालन कर रहे हैं, के लिए वसूली, डाटा की निजता और ग्राहक शिकायत निवारण उपायों के संबंध में विस्तृत व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। आउटसोर्स किए गए एजेंटों के द्वारा दिशानिर्देशों का अनुपालन करवाने का उत्तरदायित्व भी आरई का होता है।

सरकार धोखाधड़ी वाले ऋण एप्स को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आरबीआई और अन्य संबंधित विनियामकों/हितधारकों के साथ नियमित रूप से संपर्क में है। इस मामले पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी), माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर विनियामकीय मंच, की बैठकों में नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है तथा इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसका उद्देश्य भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऐसी किसी खामियों को दूर करने के लिए तत्पर रहना, निगरानी रखने के साथ साइबर सुरक्षा की तैयारी को बनाए रखना तथा उपयुक्त एवं समय पर कार्रवाई करना है।

धोखाधड़ीपूर्ण ऐप्स को नियंत्रित करने के लिए की गई कुछेक पहल निम्नानुसार हैं:-

(i) आरबीआई ने भारत सरकार (जीओआई) के साथ वैध एप्स की 'व्हाइटलिस्ट' साझा की है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिटी) द्वारा ये 'व्हाइटलिस्ट' गूगल के साथ साझा की गई थी, जिसका एप स्टोर डिजिटल उधार एप्स के संवितरण का प्रमुख स्रोत है।

(ii) गूगल ने प्ले स्टोर पर लोन लेंडिंग एप्स को उपलब्ध कराने के संबंध में अपनी नीति को अद्यतन किया है और भारत में लैंडिंग एप्स के लिए सख्त प्रवर्तन कार्रवाई के साथ अतिरिक्त नीतिगत अपेक्षाओं को लागू किया है।

(iii) उनकी संशोधित नीति के अनुसार, प्ले स्टोर पर केवल उन एप्स को अनुमति दी गई है जो आरई द्वारा जारी किए जाते हैं या आरई की साझेदारी में काम कर रहे हैं।

(iv) अप्रैल, 2021 से जुलाई, 2022 के दौरान गूगल ने लगभग 3500 से 4000 लोन लेंडिंग एप्स की समीक्षा भी की थी और अपने प्ले स्टोर से 2500 से अधिक धोखाधड़ी वाले लोन एप्स को निलंबित किया था या हटाया था।

(v) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय (एमएचए) सक्रिय रूप से डिजिटल उधार एप्स का नियमित विश्लेषण करता रहा है। इसके विश्लेषण और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर आई4सी टीम विभिन्न मानदंडों पर एप्स का विश्लेषण करती है और संदिग्ध पाए जाने वाले एप्स को ब्लॉक करने के लिए मिटी को सूचित करती है।

**(ङ) से (च):** साइबर-अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करने और नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार, आरबीआई और बैंकों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में की गई कुछेक पहल निम्नानुसार है:-

(i) आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) का आयोजन आरंभ किया है जिसमें मुख्य रूप से धोखाधड़ी और जोखिम कम करने के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के समन्वय से स्कूली छात्रों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय शिक्षा की संरचना तैयार की है।

(iii) आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) के सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी) आयोजित किया गया था।

(iv) आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) का भी आयोजन करता रहा है और बैंकों को वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से विशेष शिविरों का भी आयोजन करने की सलाह दी गई है।

(v) साइबर-अपराध के संबंध में शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), रेडियो अभियानों, आई4सी के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से साइबर-अपराध की रोकथाम और साइबर सुरक्षा टिप्स के संबंध में प्रचार-प्रसार द्वारा संदेशों को प्रचारित करना।

(vi) गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक और सरकारी अधिकारियों के लिए सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धति का प्रकाशन।

(vii) गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा और संरक्षा जागरूकता सप्ताहों का आयोजन।

******